न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 49/2019 (कम्प्यूटर नं. 2019/00113)

प्रार्थीगण

1. नन्दाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट उम्र 80 वर्ष
2. छोटी देवी पत्नि हनुमान जाति जाट उम्र 79 वर्ष
3. भागीरथ पुत्र हनुमान जाति जाट उम्र 62 वर्ष
4. मेघाराम पुत्र हनुमान जाति जाट उम्र 47 वर्ष
5. मोहन पुत्र हनुमान जाति जाट उम्र 42 वर्ष

   छोटू पुत्र कुशला के कायम मुकाम :—
6. मूलाराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष
7. पूसाराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासीगण पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 13-9.19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पूर्वज कुशला पुत्र पन्ना की खातेदारी का खेत ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 502 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 75 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा अवस्थित रहा है, प्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्नवत है :—

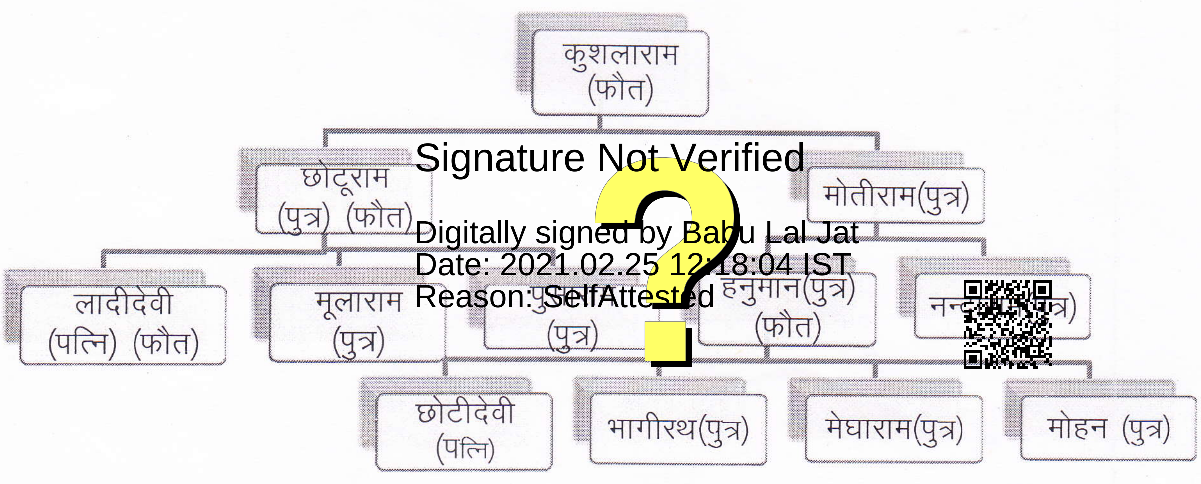

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुशला पुत्र पन्ना के फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण सं. 252 कुशला के वारिसान छोटू व मोती के पुत्र हनुमान व नन्दा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये गये, चूँकि कुशला के पुत्र मोती का स्वर्गवास कुशला से पूर्व हो चुका था इसलिए मोती के पुत्र हनुमान व नन्दा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये गये खसरा नम्बर 502 एवं 75 में राजस्व रेकार्ड की स्थिति संवत 2045 तक सही चलती रही परन्तु नावां तहसील में सम्वत 2046 में द्वितीय भू–प्रबन्ध हुआ जिसमें गत खसरा नम्बर 502 व 75 के नये खसरा नम्बर 207 रकबा 0.62 हैक्टर व खसरा नम्बर 868 रकबा 1.24 हैक्टर कायम किये गये, सम्वत 2046 की खतौनी में राजस्व अधिकारियो ने त्रुटि से छोटूराम, कुशलाराम, हनुमानराम, नन्दाराम पि. मोतीराम खातेदार दर्ज कर दिये जबकि छोटूराम वास्तव में कुशलाराम का पुत्र है तथा हनुमान, नन्दाराम कुशलाराम के पुत्र मोतीराम के पुत्र है जो खतौनी एवं नामान्तरकरण से स्पष्ट है इस लिपिकय त्रुटि से प्रार्थीगण खातेदार खसरा नम्बर 207 व 868 में कुशलाराम पुत्र मोतीराम 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया है एवं छोटूराम पुत्र मोतीराम 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि वास्तव में छोटूराम पुत्र कुशलाराम 1/2 अंकित होना चाहिए था, यह त्रुटि मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधित किये जाने से किसी प्रकार से किसी भी खातेदार के अधिकार प्रभावति नही होते है, छोटूराम पुत्र कुशलाराम का स्वर्गवास दिनॉक 25.06.1988 को हो चुका है परन्तु खतौनी में वल्दियत गलत अंकित होने के कारण छोटूराम के फौतगी नामान्तरकरण नही हो रहा है जिससे प्रार्थीगण को अत्यन्त परेशानी हो रही है छोटूराम की पत्नि लादीदेवी का स्वर्गवास दिनॉक 20.06.06 को हो चुकी है, खसरा नम्बर 207 व 868 में कुशलाराम पुत्र मोतीराम मात्र लिपिकीय त्रुटि है एवं छोटूराम पुत्र मोतीराम भी लिपिकीय त्रुटि से दर्ज किया गया है, ग्राम पलाड़ा मे से नया राजस्व ग्राम सीतापुर बनाया गया है वर्तमान मे खसरा नम्बर 207 व 868 ग्राम सीतापुर में अवस्थित है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 207 रकबा 0.62 हैक्टर व खसरा नम्बर 868 रकबा 1.25 हैक्टर में से कुशलाराम पुत्र मोतीराम का नाम हटाया जाने एवं छोटूराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर छोटूराम पुत्र कुशलाराम 1/2 हिस्सा अंकित किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी [illegible] में मिलान क्षेत्रफल की नकल, नामान्तरकरण सं. 252 की नकल, [illegible] सम्वत 2046–65 की नकल, जमाबन्दी नकल सम्वत 2026–29, 2030–2038, 2042–2045, सम्वत 2073–76, मृत्यु प्रमाण पत्र छोटूराम पुत्र कुशलाराम, लादी देवी [illegible] छोटूराम की प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, बहस दौरान बताया है कि कुशलाराम पुत्र मोतीराम का नाम हटाकर छोटूराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर छोटूराम पुत्र कुशलाराम 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी

इत्यादि का अवलोकन किया गया, नकल जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 502 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 75 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में कुशला पुत्र पन्ना जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 में छोटू पुत्र कुशला हनुमान नन्दा पि. मोती जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2042–2046 में छोटूराम पुत्र कुशलाराम हनुमानराम नन्दाराम पि. मोतीराम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–65 मे छोटुराम कुशलाराम हनुमानराम नन्दाराम पि. मोतीराम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 252 ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 502 75 में कुशला एवं मोती के फौत होने के पश्चात उनके वारिस मोती छोटू पुत्र कुशला जिनमे से मोती पुत्र कुशला फौत होने पर उसके पुत्र हनुमान एवं नन्दाराम के नाम दर्ज हुआ। मृत्यु प्रमाण 68/2010 दिनॉक 20.12.2010 अनुसार छोटूराम की मृत्यु दिनॉक 25.06.1988 को हो चुकी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 0811200566004830021/2016 दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार उसकी पत्नि लादी देवी की मृत्यु दिनॉक 20.06.2006 को हो चुकी है। गत खसरा नम्बर 502 के नये खसरा नम्बर 868 ग्राम सीतापुर में एवं गत खसरा नम्बर 75 के नये खसरा नम्बर 207 ग्राम पलाड़ा में अंकित हुए है जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल की नकल से होती है तथा पलाड़ा में नया राजस्व ग्राम सीतापुर हुआ है जिसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यो से होती है, उपरोक्त राजस्व रेंकार्ड अनुसार सेटलमेंट के दौरान छोटूराम की वल्दियत गलत दर्ज हुई है तथा वर्तमान जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 868 रकबा 1.25 हैक्टर एवं ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 207 रकबा 0.62 हैक्टर में कुशलाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4, छोटूराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4, छोटीदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/16, नन्दाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4, भागीरथ पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16, मेघाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 दर्ज है, जबकि छोटूराम एवं मोतीराम आपस में सगे भाई है परन्तु राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटिवश कुशलाराम पुत्र मोतीराम एवं छोटूराम पुत्र मोतीराम प्रविष्टि गलत दर्ज हुई है, नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 तक प्रार्थीगण के नाम सही चली आई परन्तु वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के पूर्वज छोटूराम मोतीराम के नाम लिपिकीय त्रुटिवश गलत दर्ज किये गये, उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी से मिलान क[illegible] शुद्धि किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत हो है, इस प्रकार [illegible] का प्रार्थना–पत्र उपलब्ध साक्ष्य जमाबन्दी इत्यादि से साबित ह[illegible] जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि दुरूस्त किये जाने योग्य होने [illegible] दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 868 रकबा 1.25 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि कुशलाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, छोटूराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, छोटीदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, नन्दाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, भागीरथ पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, मेघाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर छोटूराम पुत्र कुशलाराम 1/2, नन्दाराम पुत्र मोतीराम 1/4, छोटीदेवी पत्नि हनुमान 1/16, भागीरथ पुत्र हनुमान 1/16, मेघाराम पुत्र हनुमान 1/16, मोहन पुत्र हनुमान 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज किया जावे। ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 207 रकबा 1.25 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि कुशलाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, छोटूराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, छोटीदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, नन्दाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार, भागीरथ पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, मेघाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, के स्थान पर छोटूराम पुत्र कुशलाराम 1/2, नन्दाराम पुत्र मोतीराम 1/4, छोटीदेवी पत्नि हनुमान 1/16, भागीरथ पुत्र हनुमान 1/16, मेघाराम पुत्र हनुमान 1/16, मोहन पुत्र हनुमान 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 13.9.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested